न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 - /2001 पुनरीक्षण

जमना प्रसाद तनय नुनंदन ब्राह्मण
निवासी ग्राम बम्होरीकलां तहसील जतारा
जिला टीकमगढ ------- आवेदक

विरुद्ध

हल्लू तनय व्टू ब्राह्मण निवासी ग्राम बम्होरीकलां
तहसील जतारा जिला टीकमगढ -- अनावेदक

अपर आयुक्त सागर संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक 1922/अ-6/96-97 में पारित आदेश दिनांक 14-12-2000 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) यह कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी रामसहाय एवं अजुध्या प्रसाद थे जिन्होंने भूमि आवेदक के हित में पंजीकृत दान-पत्र निष्पादित किया था जिसके आधार पर आवेदक का नामान्तरण विधिवत् कार्यवाही करने के पश्चात वर्ष 1969 में किया गया था । उक्त नामान्तरण आदेश को लगभग 27 वर्ष पश्चात निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने विचाराधिकार एवं विवेक का उचित प्रयोग नहीं किया और ऐसे आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त महोदय ने गंभीर भूल की है ।

(3) यह कि अनावेदक व्दारा रजिस्टर्ड दान-पत्र को अभी भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी । अतः ऐसे दान-पत्र के आधार

--- 2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 262-II/01 जिला [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-16.	आवेदक की मृत्यु होने के उपरांत उनके वारिस को अभिलेख पर लिये जाने के लिये [illegible] पर पूर्व में आवेदन के [illegible] को निराकृत किया गया था परन्तु न तो [illegible] पूर्व [illegible] न ही उनके वारिस [illegible] आवेदन आवेदक [illegible] प्रकरण आदि [illegible] पालन न होने के कारण [illegible] प्रकरण [illegible] पर [illegible] प्रकरण [illegible] किया जाता है। पश्चात सूचित हो अभिलेख दाखिल किया जावे। [signature] सदस्य	